156

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1265—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—08—2008 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 803/निग0/2007—2008

.....

राजमणी कुशवाह पुत्र श्री अयोध्या कुशवाह(मृतक) वारिसान—

1— सत्यभान कुशवाह
2— त्रिवेणी कुशवाह
3— सूरज प्रसाद कुशवाह, पुत्रगण राजमणी कुशवाह
निवासीगण—ग्राम भाजन रक्शा, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

देवशरन कुशवाह पुत्र बैसाहू कुशवाह
निवासी— ग्राम भाजन रक्शा, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री, डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एसं0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 24/8/16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 803/निग0/2007—2008 में पारित आदेश दिनांक 11—08—2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम भांजन, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 128/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर जो की आवेदकगण की भूमि है । सर्वे क्रमांक 129 अनावेदक के स्वामित्व की भूमि है । आवेदक द्वारा नक्शा सुधार बावत आवेदन–पत्र तहसील न्यायालय सिरमौर में पेश किया गया, जिस पर अनावेदक देवशरण ने आपत्ति का आवेदन–पत्र, आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत तहसील न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह स्वयं सरहदी कृषक है। अतः उसे भी हितबद्ध पक्षकार बनाया जावे। तहसील न्यायालय में प्ररकण क्रमांक 9/अ–6–अ/2007–08 पंजीबद्ध किया गया और पारित आदेश दिनांक 05.04.08 को अनावेदक के द्वारा आपत्ति का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया गया । तहसीलदार सिरमौर के आदेश दिनांक 05.04.2008 से दुखित होकर अनावेदक द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी पेश की गई । अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 337/अ–6–अ/2007–08 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 30.07.2008 को प्रस्तुत निगरानी खारिज की गई । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 30.07.2008 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । प्रकरण क्रमांक 803/निग0/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2008 को अपर आयुक्त रीवा द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त रीवा के उक्त आदेश दिनांक 11.08.2008 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि अपर कलेक्टर रीवा द्वारा यह सही निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्वे नं0 128 के मात्र अकेले भूमि स्वामी आवेदक है, तथा इसमें अनावेदक का कोई हित निहित नहीं है । दिनांक 25.08.07 राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर से सर्वे नं0 128 का नक्शा पूर्व में ही तरकीय हो चुका है । दुबारा इसमें अनावेदक को आपत्ति का अधिकार नहीं है । तहसीलदार सिरमौर एवं कलेक्टर ने अनावेदक का आवेदन, आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 निरस्त कर दिया । यदि अनावेदक को कोई तकलीफ है वह अपने सर्वे

129 का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है । इसका सर्वे क्र0 128 पर कोई दखत नहीं है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि अनावेदक का सर्वे नं0 128 के किसी बटांक का भी भूमि स्वामी नहीं है तथा प्रस्तुत प्रकरण के लिये आवश्यक पक्षकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को नजरअन्दाज करके आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि ग्राम भांजन रकशा की विवादित भूमि खसरा नं0 128/2 रकबा 0.43ए0 म0प्र0 शासन सड़क, श्मशान, व आम रास्ता की आराजी है । उक्त सम्बन्ध का इन्द्राज भी राजस्व अभिलेखों में कई वर्षों से हो रहा है । उक्त भूमि का नक्शा तरमीम भी राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2004 को किया जा चुका है । उक्त भूमि के बगल में आवेदक की भूमि खसरा नं0 128/1 रकबा 1.00ए0 लगा हुआ है, इसी कारण से आवेदक शासकीय भूमि का नक्शा तरमीम अपने कब्जे दखल की भूमि के साथ कराना चाहता है और अवैधानिक तौर म0प्र0 शासन की भूमि को हड़पना चाहता है इसीलिये अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पत्र के साथ आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । परन्तु अनावेदक को पक्ष समर्थन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के आदेश को विधिवत गौर नहीं किया और प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निगरानी अस्वीकार करते हुये अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जावे ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया । अभिलेख से प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.04.08 के तहत निरस्त कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को स्थिर रखा गया । आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम माजन रक्शा की भूमि खसरा 128 का नक्शा सुधार बावत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था । भूमि

खसरा नं0 128/2 रकबा 0.43 एकड़ म0प्र0 शासन सड़क व श्मशान की भूमि है । भूमि खसरा नं. 129 आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है । चूँकि आवेदक सरहदी कृषक अतएव ऐसी परिस्थिति में अनावेदक को भी समुचित सुनवाई का अवसर प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर दिया जाना चाहिये था, जो विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया और यही त्रुटि अपर कलेक्टर रीवा द्वारा अपने आदेश में की गई है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपने आदेश दिनांक 11.08.2008 से निरस्त किया है, जो उचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2008 स्थिर रखते हुये, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर